फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

.... भूरालाल .... **बनाम** .... नारायण वगैरहा ....

किस्म मुकदमा : **88, 89, 92ए, 188 आर.टी.ए.** प्रकरण संख्या ..... 54/09.......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
14-05-2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 'न्याय आपके द्वार, 2018' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आज पेश हुई। इसमें वादी द्वारा अपने वाद पेश कर निवेदन किया गया कि वादी के पिता रामाजी आत्मज खेत्या, जाति चारण, निवासी ग्राम मान्दलिया के स्वयं के खाते की स्वअर्जित भूमि खसरा नम्बर 352 की 0.50 हैक्टर, 423 की 1.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 424 की 0.01 हैक्टर गै.मु. चााह, 425 की 0.21 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 2.04 हैक्टर वाके ग्राम हीरापुर स्थित है। रामाजी ने वादी की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर दिनांक 28.08.2000 को एक वसीयतनामा आलेखित करवाकर तथा इसे नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर सम्पूर्ण आराजी किता 4 रकबा 2.04 की वसीयत वादी के नाम कर दी थी। प्रतिवादी नं. 6 ने प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 से मिलीभगत करके चुपचाप नामान्तरकरण खुलवाकर अपना नाम शामलात में दर्ज करवा लिया जबकि उक्त आराजी पर उनका कोई हक या अधिकार नहीं था। उक्त नामान्तरकरण से दर्ज नाम क्रे आधार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 तथा क्रम 4 द्वारा अपनी अपनी 1/3, 1/3 हिस्सा आराजी को प्रतिवादी क्रम 5 को विक्रय कर दिया जबकि उन्हें उक्त भूमि या उसके भाग को विक्रय या खुर्द बुर्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और प्रतिवादी नं. 5 उक्त भूमि पर स्ट्रेन्जर परचेजर है जिसे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदालखत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रामाजी के खातेदारी की आराजी का उनके द्वारा की गई वसीयत दिनांक 28.02.2000 के आधार पर वादी को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित करते हुये रिकार्ड में बतौर खातेदार वादी का नाम दर्ज किया जावे। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2064–2067, वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, वसीयत दिनांक 26.08.2000 की फोटोप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024 एवं मिलान क्षैत्रफल पेश किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यह अस्वीकार है कि रामाजी ने वादी के पक्ष में कोई वसीयत की हो। वादी ने रामाजी की मृत्यु के पश्चात उनके फौती नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 28.11.2001 के विरूद्ध जिला कलक्टर, कोटा के यहाँ अपील प्रस्तुत की थी जो दिनांक 25.01.2002 को निरस्त कर दी गई। इसके 6 वर्ष बाद तक वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तदुपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा अपनी हिस्सा आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 5 को कर दिया, जो नामान्तरकरण संख्या 348 एवं 349 दिनांक 22.12.2008 से प्रतिवादी क्रम 5 के खाते दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया कि विवादित वसीयत सर्वथा फर्जी तथा कूटरचित दस्तावेज है। मृतक रामाजी हस्ताक्षर करते थे जबकि तथाकथित वसीयतनामा पर अंगूठा निशानी हो रही है। तथाकथित वसीयत के समय रामाजी वसीयत करने की मानसिक व शारीरिक स्थिति में नहीं थे। रामाजी की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने की कार्यवाही नहीं करना तथा अपील 2002 में निरस्त हो जाने पर भी मृत्यु के 8 वर्ष बाद दावा पेश करना वसीयत को बनावटी होना प्रमाणित करता है तथा वादी की दुर्भावना प्रकट करता है। नामान्तरकरण की अपील निरस्त होने पर वादी के चुपचाप बैठ जाने पर प्रतिवादी नं. 5 ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
	हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी वादी के पिता रामाजी के खाते दर्ज थी तथा रामाजी की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी वादी, वादी के भाई के वारिसान तथा वादी की बहन की संयुक्त खातेदारी में दर्ज की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी के 1/3 हिस्सा ही निहित था तथा शेष हिस्से में से 1/3 हिस्सा वादी के भाई के वारिसान का तथा 1/3 हिस्सा वादी की बहन का था। इसके लिये भी वादी द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा में अपील पेश की गई।इस अपील के निर्णय दिनांक 25.06.2002 के बिन्दु संख्या 5 में मृतक खातेदार के स्थान पर उसके वारिसान के नाम खोले गये अपीलाधीन इन्तकाल में कोई प्रक्रियात्मक दोष नहीं पाया गया तथा रामाजी के वारिसान के नाम खोला गया इन्तकाल यथावत रखने के आदेश दिये गये। वादी द्वारा की गई अपील के खारिज होने के लगभग 6 वर्ष बाद प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 द्वारा अपने अपने हिस्से की आराजी का विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय पंजीकृत दस्तावेज से किया गया है जो पूर्णतः विधिमान्य है। वादी द्वारा वसीयत के के आधार पर दावा पेश किया गया है, जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है तथा पंजीकृत नहीं है। कानूनन अपंजीकृत दस्तावेज विधिग्राहय नहीं है। अतः वादी की संदिग्ध वसीयत अपंजीकृत होने तथा प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा पंजीकृत दस्तावेज से आराजी क्रय किये जाने के फलस्वरूप वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। - 14/5/18	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार अभियान – 2018 : अटल सेवा केन्द्र, मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

1	भूरा लाल आत्मज रामा, जाति चारण, निवासी ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
	(वादी)
	बनाम
1	नारायण पुत्र स्व. देवराज
2	चम्पी बाई पुत्री स्व. देवराज
3	नन्दू बाई पुत्री स्व. देवराज
4	दल्ली बाई पुत्री स्व. देवराज, जाति चारण, निवासीगण मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5	नन्दलाल पुत्र नैना, जाति चारण, निवासी ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6	राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
	(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 54 / 09
निर्णय दिनांक : 14-05-2018

न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र, मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में आज तारीख 14–05–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस. (सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त वादी की संदिग्ध वसीयत अपंजीकृत होने तथा प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा पंजीकृत दस्तावेज से आराजी क्रय किये जाने के फलस्वरूप वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 14.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

14/5/18

(दुर्गाशंकर मीना) आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		